



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2013/ आषाढ़ 5, 1935

No. 313]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2013/ASADHA 5, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2013

सा.का.नि. 408 (अ)- केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 32) की धारा 25 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमनकारी) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 32) अभिप्रेत है ;

(ख) "समिति" से नियम 3 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और पदों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है।

3. चयन समिति - (1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

(i)	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
(iii)	सचिव, विधि कार्य विभाग	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (केवल भांडागार विकास और विनियमनकारी प्राधिकरण के सदस्य के चयन के लिए)	सदस्य
(v)	सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य सचिव

- (2) समिति के कोई भी तीन सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति करेंगे ।
- 4. चयन की प्रक्रिया -** (1) केन्द्रीय सरकार नियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड देते हुए आवेदनों की प्राप्ति के लिए कम से कम पैंतालीस दिन का समय देते हुए अंग्रेजी और हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्रों और एंफ्लायलमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगी और इसके अतिरिक्त विज्ञापन सभी मंत्रालयों और विभागों में परिचालित किया जाएगा ।
- (2) समिति ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की छंटनी और सूची तैयार करेगी जो पात्रता मानदंड पूरे करते हैं ।
- (3) समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपना सकेगी जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन के लिए साक्षात्कार का संचालन भी है ।
- (4) समिति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की यथा अपेक्षित सिफारिश के लिए यथाशक्य शीघ्र, अधिमानतः समिति के प्रथम अधिवेशन की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिवेशन करेगी ।
- (5) समिति, समिति द्वारा यथाविनिश्चित प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी के पश्चात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को प्रत्येक पद के लिए योग्यता के क्रमानुसार तीन अभ्यर्थियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।
- (6) समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों की पृथक् सूचियां तैयार करेगी और उक्त सूचियां अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को अग्रेषित करेगी ।
- (7) उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट सूचियां एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी ।
- (8) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक पद के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से इस प्रकार पृथक् रूप से तैयार की गई सूचियों से की जाएगी ।
- 5. नियुक्ति के लिए मानदंड -** (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें सूची प्रबंधन, बीमा, परिरक्षण, क्वालिटी नियंत्रण, कृषि, बैंककारी, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि या प्रशासन में विस्तृत ज्ञान और अनुभव हो ।
- (2) अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से होगी जो भारत सरकार के सचिव का पद धारण कर रहे हैं या धारण कर चुके हैं या जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सारतः वित्त पोषित स्वायत्त निकाय या अनुसंधान संस्थान में भारत सरकार के सचिव के वेतनमान के समतुल्य हो या जो लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) द्वारा अनुसूची 'क' के अधीन वर्गीकृत पब्लिक सेक्टर उपक्रम में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक हो या जो वृहत पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर वित्त संस्था या बैंक या बीमा कंपनी में मुख्य अधिशासक या अनुसूची 'क' पब्लिक सेक्टर उपक्रम के मुकाबले व्यापारावर्त की तुल्य हैसियत में प्राइवेट सेक्टर उपक्रम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हों ।
- (3) अन्य सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से होगी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद धारण कर रहे हैं या धारण कर चुके हैं या जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सारतः वित्त पोषित स्वायत्त निकाय या अनुसंधान संस्थान में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान के समतुल्य हो या जो लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) द्वारा अनुसूची 'क' के अधीन वर्गीकृत पब्लिक सेक्टर उपक्रम के निदेशक मंडल का पूर्णकालिक निदेशक हो या जो वृहत पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर वित्त संस्था या बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक या अनुसूची 'क' पब्लिक सेक्टर उपक्रम के मुकाबले व्यापारावर्त की तुल्य हैसियत में प्राइवेट सेक्टर उपक्रम के निदेशक मंडल का पूर्णकालिक निदेशक हों ।
- (4) अधिनियम की धारा 26(1) के उपबंध के अध्यधीन अध्यक्ष या अन्य सदस्य की पुनर्नियुक्ति नियम 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।
- 6. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त समझा जाना -** कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से तुरंत पूर्व केन्द्रीय सरकार की सेवा में था, उस तारीख को सेवानिवृत्त समझा जाएगा जिसको वह ऐसे अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करता है ।

[फा.सं.टीएफसी/13/2008]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव